भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1226
उत्तर देने की तारीख 11.12.2023

राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर का गिराया जाना

1226. श्री मनीश तिवारी:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर को गिराए जाने के प्रस्ताव का क्या औचित्य है;
(ख) संग्रहालय को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थानांतरित करने का क्या औचित्य है, विशेषकर जब ये इमारतें पुरानी हैं और कथित तौर पर भूकंप-रोधी नहीं हैं, जिससे इन कलाकृतियों की सुरक्षा के बारे में चिंता उत्पन्न होती है;
(ग) मंत्रालय का इस वर्ष के अंत तक वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय को खाली करने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर दो लाख वस्तुओं की सुरक्षित पैकिंग, भंडारण और परिरक्षण किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार है;
(घ) स्थानांतरण अवधि के दौरान कलाकृतियों के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय और भंडारण सुविधाएं मौजूद हैं;
(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय को गिराए जाने पर विचार करने से पहले किन्हीं विशेषज्ञों की सलाह ली है अथवा हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या सरकार ने संग्रहालयों के पुनरूद्धार के दौरान कलाकृतियों के टूटने की पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेषकर स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान कलाकृतियों के सावधानीपूर्वक संचालन और संरक्षण के संबंध में कोई आश्वासन दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ङ): राष्ट्रीय संग्रहालय को वर्तमान में गिराए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख): नॉर्थ और साउथ ब्लॉक (ग्रेड-I विरासत भवन) का यथोचित रूप से जीर्णोद्धार और नवीनीकरण किया जाएगा ताकि उनका उपयोग राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में किया जा सके।

(ग) और (घ): विशेषज्ञों द्वारा आवश्यकतानुसार पैकेजिंग, भंडारण, परिरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मानक प्रोटोकॉलों का यथोचित ध्यान रखा जाएगा।

(च): सरकार अपने उत्तरदायित्व के प्रति अवगत है और पैकेजिंग, भंडारण, परिरक्षण और सुरक्षा के संबंध में आवश्यकतानुसार सभी मानक प्रोटोकॉलों पर ध्यान रखेगी।

****